न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–442/2011 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. जलसूदीन पुत्र लाल मोहम्मद जी नीलगर मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. मुरादी पुत्री लाल मोहम्मद जी नीलगर मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सलमा पुत्री लाल मोहम्मद जी नीलगर मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सुगरा पत्नी लाल मोहम्मद जी नीलगर मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. हकीम पुत्र कासम जी नीलगर मुसलमान आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

बनाम

1. शफी मोहम्मद पुत्र अहमद जी नीलगर नील वाले आयु वयस्क निवासी नई आबादी, जहाजपुर रोड, शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. इरफान पुत्र शफी मोहम्मद जी नीलगर नील वाले आयु वयस्क निवासी नई आबादी जहाजपुर रोड, शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. जुबैदा बानू पत्नी कमालुद्दीन जी डायर मुसलमान आयु वयस्क निवासी गांधी नगर भीलवाड़ा
4. मोहम्मद हुसैन पुत्र अब्दुल जी नीलगर मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते स्थगन आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश दाधीच

निर्णय दिनांक 16/7/25

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश दाधीच द्वारा दिनांक 06.09.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 442/2011 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 6066 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6067 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6101 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 6219 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी संख्या 6220 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है।

उपरोक्त आराजी संवत् 2045–2048 तक की जमाबंदी में श्री फतेह मोहम्मद पिता सुल्तान, लाल मोहम्मद, हकीम पिता कासम जी 1/2 एवं नूर मोहम्मद जी, मीठू पिता कादर जी 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड रही है तथा उक्त नामित व्यक्तियों के परिवार का सजरा एवं सजरे में वर्णित अनुसार अपना हक व हिस्सा कालान्तर में विक्रय कर दिये जाने से उनके हक व हिस्से के अनुसार खरीददार का नाम निम्न प्रकार है–

16/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

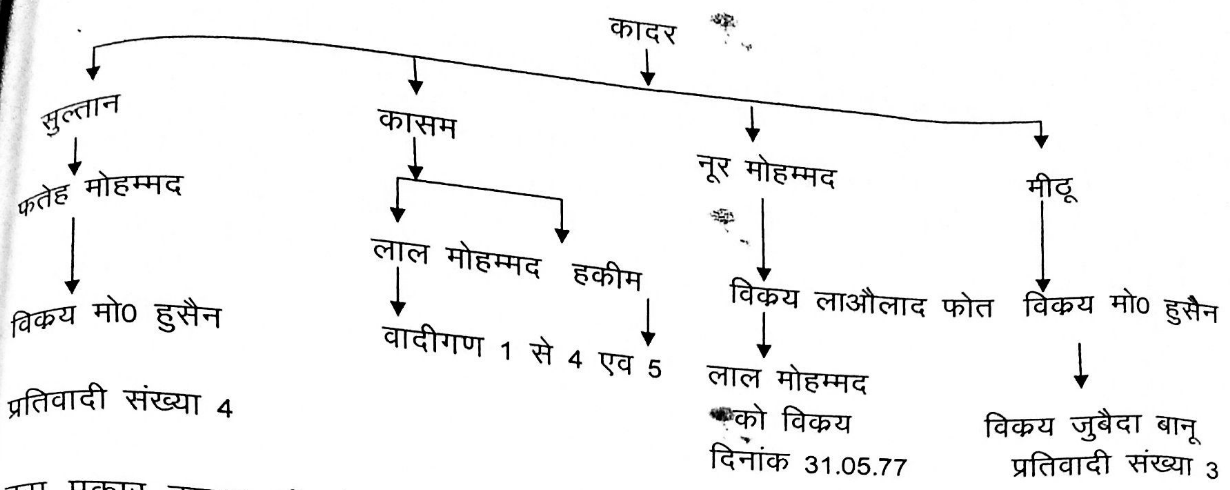

इस प्रकार कादर जी के चार पुत्र थे तथा विवादित आराजी में चारों पुत्रों का समान हक हिस्सा 1/4—1/4 था जिसे रेकार्ड में जमाबंदी संख्या 2045 से 2048 में दर्ज किया गया है और श्री नूरमोहम्मद जी के कोई पुरूष सन्तान नहीं था और दो पुत्रियां थी जिनका भी देहावसान हो चुका है। विवादित आराजियात में श्री नूर मोहम्मद जी का 1/4 हक व हिस्सा था तथा उन्होने अपना 1/4 हक व हिस्सा श्री लाल मोहम्मद जी को दिनांक 31.05.1977 को जरिये रजिस्टर विक्रय विलेख से विक्रयकर कब्जा काश्त श्री लाल मोहम्मद जी को सिपूर्द कर दिया तथा विवादित आराजियात में स्वयं लाल मोहम्मद जी का 1/8 हक हिस्सा था और नूर मोहम्मद जी 1/4 हक व हिस्सा को लाल मोहम्मद जी द्वारा खरीद कर लिये जाने से लाल मोहम्मद जी का विवादित आराजियात में स्वयं का और खरीदशुदा (1/8 +1/4) कुल 3/4 हक व हिस्सा कायम हुआ तथा श्री लाल मोहम्मद जी का इंतकाल वर्ष 1996 में हो गया है। विवादित आराजियात में उनके 3/4 हक व हिस्से पर वर्तमान में लाल मौहम्मद जी के वारिसान पुत्र, पुत्रियों एंव विधवा वादीगण सं० 1 से लगायत 4 काबिज है तथा फतेह मौहम्मद जी ने अपना 1/4 हक व हिस्से को प्रतिवादी सं० 4 को विक्रय कर दिये जाने से उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं और फतेह मौहम्मद जी के हक व हिस्से पर प्रतिवादी सं० 4 काबिज हैं तथा मीठू जी द्वारा भी अपना 1/4 हक व हिस्सा श्री मौहम्मद हुसैन को तथा श्री मौहम्मद हुसैन ने प्रतिवादी सं० 3 जुबैदा बानू को विक्रय कर दिया जो वर्तमान में मीठू जी का हक व हिस्सा उनके नाम दर्ज हो कर श्री मती जुबैदा बानू काबिज हैं।

इस प्रकार वर्तमान ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 6066 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6067 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6101 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 6219 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी संख्या 6220 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादीगण सं० 1 से 4 (लाल मौहम्मद जी के वारिसान) तथा हकीम वादी स० 5 एंव प्रतिवादी सं० 3 श्रीमती जुबैदाबानू एंव प्रतिवादी सं० 4 श्री मौहम्मद हुसैन जी के नाम संयुक्त एंव शामलाती तौर दर्ज रेकार्ड हैं तथा ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 6066 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6067 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 6101 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 6219 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी संख्या 6220 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में वादी सं० 1 से 4 का 3/4 एवं वादी सं० 5 का 1/8 एंव प्रतिवादी सं० 3 का 1/4 एंव प्रतिवादी सं0 4 का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर शामलात में दर्ज रेकार्ड हैं। आराजी निजाई शामलात में राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 3 एंव 4 के मध्य सीमा विवाद एंव आराजियात में अपने हक व हिस्से को अबादान करने पर तथा पृथक तौर दर्ज नहीं होने से ऋण इत्यादि लेने मे तथा मेर पाली का प्रायः विवाद रहता हैं तथा आराजियात निजाई का उपरोक्तानुसार हक व हिस्से अनुसार मींण्ड एण्ड बॉउण्डस से विभाजन करवाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हो गया हैं।

16/7/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण सं० 1 स्व० श्री नूर मौहम्मद जी का मृतक पुत्री का पति दामाद (जवाई) हैं तथा प्रतिवादी सं० 2 स्व० श्री नूर मौहम्मद जी की पुत्री का पुत्र दोयता हैं तथा इन्होनें एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं० 5 तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की प्रस्तुत किया हैं कि विवादित आराजियात में स्व० नूरमौहम्मद जी के हक व हिस्से की आराजियात का नामान्तरणकरण जरिये विरासत से उनके नाम खोला जावें। जबकि स्व० श्री नूर मौहम्मद जी ने अपना हक व हिस्सा से भी अधिक आराजी स्व० श्री लालमौहम्मद वादीगण सं० 1 से 4 के पिता, पति को जरिये रजि० विक्रय विलेख से दिनांक 31–5–1977 में बिल एवज प्रतिफल 1,000/–रू० में अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी और उनके मृत्यु के समय विवादित आराजियात में अपना हक हिस्सा विक्रय कर दिये जाने से मृत्यु के रोज दिनांक को कोई हक व हिस्सा अवशेष ही नहीं रहा था। तथा मुस्लिम विधि में पैत्रिक एंव मौरूसी जायदाद का सिद्धान्त लागू नहीं होता हैं। मुस्लिम विधि में किसी मुसलमान व्यक्ति की मृत्यु के दिन जो जायदाद उपलब्ध होती हैं उसमें मृत्यु के दिन जीवित वारिसान मुस्लिम विधि में विहित प्रावधानों के अनुसार विरासत में प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में स्व० श्री नूर मौहम्मद जी ने विवादित आराजियात में अपना हक व हिस्सा सन् 1977 में ही विक्रय कर दिया था और उनकी मृत्यु वर्ष 1983 में हुई थी यानि कि मृत्यु के रोज उक्त विवादित आराजियात में नूर मौहम्मद जी का कोई हक व हिस्सा अवशेष नहीं रहने से यदि प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 यदि वारिस हो तों भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

स्व0 श्री नूर मौहम्मद जी द्वारा विवादित आराजियात में निहित अपना 1/4 हक व हिस्सा विक्रय श्री लालमौहम्मद जी को रजि० विक्रय विलेख से विक्रय कर दिया गया। राजस्व रेकार्ड में अपने हक व हिस्से के कब्जेनुसार वर्तमान में आराजी सं0 6219 एंव 6220 में नूर मौहम्मद जी का नाम हटाया जाकर तन्हा वादीगण के एंव अन्य खातेदार का नाम दर्ज हो गया लेकिन अन्य तीन आराजी में नूर मौहम्मद जी का नाम सेहवन से दर्ज रह गया जबकि विवादित आराजी में स्व० श्री नूरमौहम्मद जी का 1/4 हक व हिस्सा के तहत आराजी सं० 6219 एंव 6220 का 1 बीघा 10 बिस्वा में पडोसों बीच स्थित हक व हिस्सा को वादीगण सं० 1 से 4 के पिता श्री लालमौहम्मद जी को विक्रय किया था और उन्होंने अपने जीवनकाल में उक्त हक व हिस्सा विक्रय कर दिये जाने से लालमौहम्मद जी के नाम दर्ज नूर मौहम्मद जी के जीवनकाल में ही हो गया और वर्तमान में वादीगण सं० 1 से 4 के नाम दर्ज हो कर काबिज हैं। प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का कभी कोई कब्जा काश्त विवादित आराजियात में एक क्षण के लिये भी नहीं रहा और नूर मौहम्मद जी द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व ही विक्रय कर दिये जाने से मृत्यु दिनांक को विरासत में प्राप्त करने हेतू आराजियात निजाई में हक व हिस्सा अवशेष नहीं रहा। इस कारण प्रतिवादी सं० 1 व 2 का कभी कोई हक व अधिकार नूरमौहम्मद जी के फुट स्टेप पर सृजित नहीं होता हैं और न ही हैं। किन्तू नूरमौहम्मद जी का नाम राजस्व रेकार्ड में अन्य तीन आराजी में गलत तौर दर्ज रह जाने से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के मन में लालच व फितूर आ जाने के कारण उन्होने श्रीमान् तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ विरासत से नामान्तरणकरण खोलने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो जाँच हेतू पटवार हल्का पुर के पास भिजाये जाने से जैर कार्यवाही हैं और उक्त आवेदन पर श्रीमान् पटवार हल्का पुर द्वारा जाँच करने के उद्देश्य से दिनांक 27–8–2011 को वादीगण से जानकारी करने पर प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के अवैध आशय की जानकारी हुई। और प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ग्राम पुर में ही घुमते रह रहें हैं। दिनांक 27'8–2011 के बाद निरन्तर वादीगण के मिलने वालों को यह धमकी देते हैं कि येनकेन प्रकारेण वे विवादित आराजियात में स्व० नूर मौहम्मद जी के विरासत से अपना नाम दर्ज करायेगे और आराजी निजाई को ओने पौने दामों में विक्रय कर देगें व वादीगण के कब्जें काश्त से वादीगण को बेदखल कर बाधा व व्यवधान उत्पन्न कर देगें जिससे वादीगण को नूरमौहम्मद जी की खरीदशुदा हक व हिस्से से मेहरूम कर देगें ।

उपरोक्त कारणों से प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय कि प्राप्त करना न्यायहित में अतिआवश्यक हो गया हैं कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज नूरमौहम्मद जी के स्थान पर बिना न्यायालय श्रीमान् के आदेश के इन्द्राजात को परिवर्तित नहीं करें और वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें । अन्यथा वादीगण अपने जायज हक व अधिकारों से मेहरूम हो जायेगें तथा वादीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी।

16/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राथीगण वादीगण सं० 1 लगायत 4 का प्रथम दृष्टया प्रकरण हैं तथा वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का होने से सुविधा का संतुलन भी वादी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं तथा वादीगण सं0 1 से 4 के पिता को वर्ष 1977 में आराजी निजाई में निहित हक व हिस्सा को नूर मौहम्मद जी द्वारा विक्रय कर दिये जाने से वादीगण सं० 1 से 4 के पिता की मृत्यू के बाद उत्तराधिकार में वादीगण सं० 1 से 4 को प्राप्त हुई हैं और वादीगण काबिज हैं। विवादित आराजी निजाई में नूर मौहम्मद जी के हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण सं० 1 से 4 हैं। और प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 द्वारा विवादित आराजियात में नूर मौहम्मद जी का नाम गलत तौर दर्ज रह जाने के कारण प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के मन में फितूर आ जाने व अवैध तौर आराजी में नूर मौहम्मद जी के हक व हिस्से को हडपने की गरज से राजस्व रेकार्ड में गलत तौर पर भूलवश दर्ज रह जाने की वजह से प्रतिवादी सं० 1 व 2 उक्त आराजी में नूर मौहम्मद जी के स्थान पर हक व हिस्से को प्राप्त करने की गरज से विरासत हेतू आवेदन तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ प्रस्तुत किया हैं। नूर मौहम्मद जी की मृत्यु दिनांक से पूर्व ही स्व० श्री नूरमौहम्मद जी द्वारा आराजी को विक्रय कर दिये जाने से नूर मौहम्मद जी के खातेदारी अधिकार में अवस्थित नहीं रही थी और स्वंय प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 नूर मौहम्मद जी के मुस्लिम विधि के तहत वारिस की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। इसलिये प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता हैं।

अतः प्रार्थना हैं कि वादी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावें कि प्रार्थीगण सं० 1 लगायत 4 के 3/4 एंव वादीगण सं0 5 के 1/8 हक व हिस्सें की कब्जें काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान उत्पन्न नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा वादीगण के उक्त हक व हिस्से से बेदखल नहीं करें और नूर मौहम्मद जी के स्थान पर बतौर वारिस नाम प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 दर्ज नहीं करावें तथा आराजी को विक्रय, रहन, बक्षीस इत्यादि करके अन्तरित कर स्थानान्तरति नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावे । वाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनायी रखी जावें।

अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 की ओर से दिनांक 17.10.2011 व अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से दिनांक 05.12.20211 को मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली में निरन्तर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 05 के औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दिनांक 09.07.2025 को बंद किया जाकर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज लाल मोहम्मद द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक ..05.1977 को नूर मोहम्मद पिता कादर खा का वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी संख्या 6219 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा व आराजी संख्या 6220 रकबा 7 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा .. बिस्वा भूमि में नूर मोहम्मद का सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा क्रय किया गया था। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 6219 व 6220 में मौरूशी हिस्सा 1/8 क्रयशुदा हिस्सा 1/4 कुल हिस्सा 3/8 दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थी संख्या 5 का वादग्रस्त आराजी संख्या 6219 व 6220 में मौरूशी हिस्सा 1/8 दर्ज किया जाना चाहिए। इसके विपरित नामान्तरण संख्या 4335 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कुल हिस्सा 3/8 के स्थान पर 5/12 दर्ज किया गया, जो सही नहीं है। अतः वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी नम्बर 6219 व 6220 में प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से को 3/8 के स्थान पर गलत रूप से दर्ज 5/12 हिस्सा दर्ज किये जाने एवं प्रार्थी संख्या 5 के 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1/6 दर्ज किये जाने से प्रार्थीगण के पक्ष में .. वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।

16/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र दिनांक 31.05.1977 के आधार पर ग्राम पुर की आराजी संख्या 6219 एवं 6220 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि विक्रेता के स्थान पर केता के नाम नामान्तरण संख्या 4335 निर्णय दिनांक 31.01.2006 से दर्ज हो चुकी है।

नामान्तरण संख्या 4335 निर्णय दिनांक 31.01.2006 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई अशुद्ध प्रविष्टी प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का वादग्रस्त भूमि में 3/8 हिस्से एवं प्रार्थी संख्या 5 के 1/8 हक हिस्से की हद तक पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14/09/2011 को संशोधित किया जाकर ग्राम पुर की आराजी संख्या 6219 एवं 6220 कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर कम हो।

16/7/25

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा